राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

कमांकः एफ5(3)प्राशिनि / ई–2 / 2021–22 / 7988 दिनांकः 9/9/2021

प्रधानाचार्य,
समस्त,
राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय।

विषयः प्रथम वर्ष 2020–21 में प्रवेशित तथा प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की परिक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. आपकी संस्थान में अध्ययनरत् प्रथम वर्ष (**प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर**) के सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देश, आवेदन पत्र (Format : BRC-1) एवं अन्य दिशा निर्देश इस पत्र के संलग्न किये जा रहे हैं तथा विभागीय वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध करवाये गये हैं। इनका प्रिन्ट आउट लेकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवदेन पत्र की प्रतियां प्रिन्ट आउट निकाल कर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें। पार्श्व प्रवेश (सत्र 2021–22) में ऑनलाइन काउन्सलिंग के उपरान्त Internal Sliding पश्चात ब्रांचवार रिक्ति सीटों अनुसार शाखा परिवर्तन करे।
2. संयोजक पार्श्व प्रवेश द्वारा जारी संस्थानवार रिक्त रहे स्थानों पर ही ब्रांच परिवर्तन किया जाना है। उक्त ब्रांचवार रिक्तियॉ, समबिन्धत संस्थान के प्रथम वर्ष (सत्र 2021–22) के विद्यार्थियों पंजीकृत (Enrolment) द्वारा उपरान्त रिक्त रही सीटों के आधार पर निर्धारित की गई थी। पंजीयन उपरान्त तथा शाखा परिवर्तन की तिथि के मध्य यदि कोई छात्र सीट छोड़ता है तो उसको शामिल करते हुए ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही की जावें।
3. इस कार्य हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार रहेगीः–
   a. शाखा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2021 से 20.09.2021 तक आमंत्रित किये जावे।
   b. संस्था स्तर पर एक समिति का गठन कर नियमानुसार शाखा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 23.09.2021 को संस्थान में सम्पन्न की जावे।
   c. शाखा परिवर्तन Format: BRC-2 to 4 के अनुसार सूचियाँ निदेशालय को अनुमोदन हेतु दिनांक 24.09.2021 तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में ई–मेल dte_raj@rajasthan.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जावे। ई–मेल के विषय में "Proposals for branch change" अंकित किया जावे। निर्धारित तिथि / अवधि के पश्चात प्राप्त पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा। यदि आप द्वारा निदेशालय की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन कर, परिवर्तित शाखा में अध्ययन करवाया जाता है तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा नई शाखा के अनुसार परिक्षा का आयोजन नहीं करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में यदि विद्यार्थी द्वारा किंसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था की ही होगी।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

कमांकः एफ5(3)प्राशिनि / ई–2 / 2021–22 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्ड़ल, राजस्थान, जोधपुर।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें, साथ ही समस्त राजकीय / निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ई–मेल भी करें।

संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश कमांक प.17(24)त.शि./2001 दिनांक 17.12.2005 के आधार पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत दिशा निर्देश के आधार पर ब्रांच परिवर्तन के नियम के अंश निम्नानुसार है।

3. <u>ब्रांच स्थानान्तरण</u>

(क) जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

(ख) तृतीय सेमेस्टर के प्रारम्भ में एक ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उसी संस्थान (राजकीय एवं निजी) में उपलब्ध शाखा में अन्तर ब्रांच स्थानान्तरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के परिक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् किये जावेंगे। ये ब्रांच स्थानान्तरण निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित होने पर ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(ग) ब्रांच स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची, अभ्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर आधारित होगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं ब्रांच के स्थानांतरण हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परिक्षा में सभी विषय उर्त्तीण किये हो। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(घ) उक्त ब्रांच स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही सम्भव होगें:-

  (1) वांछित ब्रांच जिसमें से स्थानान्तरण चाहा है, उस संस्थान में उस ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से रिक्त रहे स्थानों पर स्थानान्तरण संभव होगी।

  (2) जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है, उसमें स्थानान्तरण पूर्व अथवा बाद में विद्यार्थी की संख्या स्वीकृत प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होने पर, स्थानान्तरण सम्भव होंगें।

(ड़) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन-इन्जिनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भिन्न होने के कारण ब्रांच परिवर्तन नहीं होंगे।

(च) यदि किन्ही दो विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष के अंक, आरक्षण श्रेणी भी समान हो तो ऐसी विशेष परिस्थिति में प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के समस्त अंकों के योग के आधार पर मैरिट का निर्धारण कर शाखा परिवर्तन किया जावेगा। सैद्धान्तिक परिक्षा के समान अंक होने पर प्रायोगिक के अंकों के योग को देखा जायेगा। प्रायोगिक अंक भी समान होने पर सैशनल अंकों के योग के आधार पर निर्णय किया जायेगा। उक्त समस्त तीनों अंक भी समान होने की स्थिति में विद्यार्थियों के $10^{वीं}$ के कुल अंकों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 11(5)त.शि./2002 पार्ट जयपुर दिनांक 07.12.2016 के अनुसार नवीन बिन्दु (च) जोडा गया।)